नोबेल पुरस्कार कटघरे में कैलाश सत्यार्थी

कैलाश सत्यार्थी का नाम आते ही जेहन में उन बेहाल बच्चों की तस्वीर उभरती है जिन्हें असमय श्रम की भट्टी से मुक्ति दिलायी गयी थी। यह मुक्ति कैलाश सत्यार्थी और उनकी संस्था बचपन बचाओ के कार्यकर्ताओं ने दिलायी। बचपन बचाओ के कार्यकर्ता इन बच्चों को उद्योग मालिकों के यहां से आजाद कराते हैं जहां वे मामूली पैसों पर मजदूरी करने को विवश होते हैं। इसी नेक मुहिम के चलते इस वर्ष कैलाश सत्यार्थी नोबल शांति पुरस्कार के लिए नामित किये गये हैं। लेकिन कैलाश सत्यार्थी के पुराने सहयोगी उन्हें सवालों व संदेह के घेरे में खड़ा करते हैं जो उनके दूसरे रूप को सामने लाता है। उनका यह दूसरा पहलू लोगों के बीच निर्मित उनकी धवल छवि को धूमिल करता है।

वर्ष 2006 में कैलाश सत्यार्थी पहली बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित हुए थे, उस वक्त हिंदी साप्ताहिक अख़बार 'द संडे पोस्ट' ने उनके काम, व्यक्तित्व, विवाद और जीवन के आयामों का जायजा लेते हुए एक स्पेशल रिपोर्ट प्रकाशित की थी। यह रिपोर्ट इस वर्ष के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कैलाश सत्यार्थी के काम की जांच करते हुए उनके जिस रूप को सामने लाती है वह इस पुरस्कार के विजेता को कठघरे में खड़ा करने के साथ पुरस्कार की चयन प्रक्रिया को ही विवादित बना देता है। ऐसा शायद पहली ही बार हुआ है कि इतने बड़े सम्मान से एक भारतीय के सम्मानित होने पर भी प्रशंसा से अधिक सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इसे जानने के लिए वर्ष 2006 में द संडे पोस्ट में प्रकाशित अजय प्रकाश की स्पेशल रिपोर्ट यहाँ दी जा रही है।

कैलाश सत्यार्थी का नाम आते ही जेहन में उन बेहाल बच्चों की तस्वीर उभरती है जिन्हें असमय श्रम की भट्टी से मुक्ति दिलायी गयी थी। यह मुक्ति कैलाश सत्यार्थी और उनकी संस्था बचपन बचाओ के कार्यकर्ताओं ने दिलायी। बचपन बचाओ के कार्यकर्ता इन बच्चों को उद्योग मालिकों के यहां से आजाद कराते हैं जहां वे मामूली पैसों पर मजदूरी करने को विवश होते हैं। इसी नेक मुहिम के चलते इस वर्ष कैलाश सत्यार्थी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किये गये हैं। लेकिन कैलाश सत्यार्थी के पुराने सहयोगी उन्हें सवालों व संदेह के घेरे में खड़ा करते हैं जो उनके दूसरे रूप को सामने लाता है। उनका यह दूसरा पहलू लोगों के बीच निर्मित उनकी धवल छवि को धूमिल करता है।

फैक्ट्रियों में दम तोड़ रहे बचपन को आजाद करने के नाम पर दुनियाभर की दानदाता एजेंसियों से दक्षिणा लेने वाले कैलाश सत्यार्थी पर करोड़ों रुपये का घपला करने तथा ट्रस्ट कागजातों के साथ हेराफेरी करने का आरोप है, इन्होंने न सिर्फ मुक्ति प्रतिष्ठान से संचालित मुक्ति आश्रम पर कब्जा कर लिया है, बल्कि स्वामी अग्निवेश के पावर ऑफ अटॉर्नी वाले शेख सराय की बिल्डिंग को भी हथिया लिया है। फंडिंग का रास्ता खुलते देख सत्यार्थी ने दिल्ली के इब्राहिम पुर स्थित मुक्ति आश्रम को संपत्ति उगाहने के केंद्र के रूप में विकसित किया और एक के बाद एक कई ट्रस्ट खोले। महत्वपूर्ण बात तो ये रही कि मुक्ति आश्रम में ही सत्यार्थी ने तमाम दूसरे ट्रस्टों के पंजीकृत कार्यालय खोले, मगर अन्य ट्रस्टियों को इसकी मौखिक जानकारी तक नहीं दी, हद तो तब हो गयी जब ट्रस्टी शेओताज सिंह, राजेश त्यागी, प्रभात पंत और खूबीराम की सहमति के बगैर आवास नाम का एक नया ट्रस्ट अस्तित्व में आया और उसके भी ट्रस्टी कैलाश सत्यार्थी और उनकी पत्नी सुमेधा सत्यार्थी ही थे, तकनीकी तौर पर बचने के लिए सत्यार्थी ने एक नई स्कीम पेश की और सालभर में 25 रुपये दान में देने वालों को भी ट्रस्टी बनाया, इसका सिर्फ एक मकसद रहा कि आगे चलकर कोई यह न कहे कि उनके ज्यादातर ट्रस्ट सत्यार्थी दंपत्ति के प्रबंधकीय और मालिकाना हक में चलते हैं।

आंखिन देखी सच

दिल्ली के सुदूर गांव इब्राहिमपुर में मुक्ति आश्रम परिसर में बचपन बचाओ आंदोलन के नारे लिखे हैं, लगभग 3.5 एकड़ में स्थित यह आश्रम फार्म हाउस मार्का है अंदर बचपन की किलकारियां नहीं कुत्तों की आवाज है, यहां अनाथ बच्चे नहीं बल्कि विदेशी ब्रांड के कुत्ते रहते हैं, इन कुत्तों की देखरेख के लिए दरबान लगे हैं, आगंतुक कक्ष में लालटेन में भी बल्ब लगा हुआ है एक दो कट्ठे में बनी सामने एक इमारत खड़ी है, कर्मचारी बताते हैं कि यहीं साठ बच्चे छह महीने के लिए आते हैं, यानी प्रत्येक साल यहां 120 बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है परंतु बाल मजदूरी से पचासों हजार बच्चों को सत्यार्थी का संगठन मुक्त कराता है। बहरहाल, इस समय वाले साठ बच्चे कहां हैं पूछने पर जवाब मिलता है अभी नहीं हैं, यहां हर आदमी का अपना एक ग्रेड है। दरबान और पानी लाने वाली दाई को छोड़ सब सभ्रांत दिखते हैं सवाल जवाब कर रहा कर्मचारी भी नौकरी छोड़ जाने वाला है। वह सुमन जी, मुक्ति आश्रम की निवर्तमान निदेशक, का हर एक वाक्य के बाद जिक्र करता है। यहां जो कुछ भी हो रहा है वह इससे संतुष्ट नही है। अपनी भावनायें व्यक्त करते हुए कहता है आपके पास तो कहने का औजार है हमारे पास क्या है। चाय खत्म कर बाहर निकलने पर सूख रही फूल-पत्तियों से घिरा बालिका मुक्ति आश्रम दिख जाता है, यहां एक भी लड़की नहीं है जबकि दावा चालीस का किया जाता है। वहां की महिला कर्मचारी बताती है कि दस-बारह थीं, दो-चार दिन पहले चली गयीं।

देश ही नहीं दुनियाभर के कॉर्पोरेट बुद्धिजीवियों के बीच सुर्खियों में रहने वाले सत्यार्थी आज अपने जुगाड़ की बदौलत नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित हो गये हैं। एक के बाद एक आधा दर्जन से अधिक ट्रस्ट खोलने वाले सत्यार्थी वही हैं, जिन्होंने झूठी प्रतिष्ठा पाने के लिए पानीपत की एक फैक्टरी पर फर्जी इल्जाम लगाये थे और आपराधिक मुकदमे पर जेल गये। बचपन बचाने से लेकर सूचना के अधिकार की पैरोकारी करने वाले सत्यार्थी किसी तरह की सूचना मांगने पर मामले को दबा जाने में माहिर हैं और हेराफेरी करने में उनका कोई जवाब ही नहीं है। महीने का पखवाड़ा विदेश में बिताने वाले सत्यार्थी के खिलाफ उनके कर्मचारी भी खड़े हो गये हैं, कुछ कर्मचारियों ने उनके खिलाफ अदालत मे मामला दायर किया है।

सत्यार्थी ने पैक्स नाम की विदेशी दानदाता एजेंसी की शर्तों के मातहत मुक्ति आश्रम को कर दिया। फंडिंग का रास्ता खुलता देख मध्य प्रदेश के विदिशा वासी सत्यार्थी ने नाम की भी एक संस्था खोल दी। इस प्रकार सत्यार्थी साउथ एशियन कॉलिशन ऑन चाइल्डहुड सर्विस के स्वनाम धन्य चेयरमैन और मुक्ति आश्रम के सेक्रेटरी हो गये जिसके बाद 1994 में बनाये गये एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन को इब्राहिमपुर स्थित मुक्ति आश्रम की 14 बीघा 8 बिस्वा जमीन लीज पर दे दी गयी। आगे चलकर बचपन बचाओ फाउंडेशन का निर्माण किया और इस फाउंडेशन का रजिस्टर्ड ऑफिस भी मुक्ति आश्रम को ही रखा, इतना ही नहीं शेख सराय में जनता पार्टी के पूर्व सांसद बापू कालदांते द्वारा सांसद कोटे से दिये गये 24 एमआईजी फ्लैट को भी सत्यार्थी ने हथिया लिया। आजकल सुनने में आ रहा है कि शेख सराय का वह फ्लैट सत्यार्थी ने किसी तीसरे को बेच दिया है, जबकि उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी स्वामी अग्निवेश के पास है। उल्लेखनीय है कि 1982 से 1992 तक बाल शोषण के खिलाफ संगठित तौर पर सत्यार्थी और अग्निवेश ने साथ काम किया।

जनकल्याण का लबादा ओढ़े, जनता और ट्रस्ट की संपत्ति को व्यक्तिगत हितों में इस्तेमाल करने वाले सत्यार्थी का यह विद्रूप चेहरा स्वामी अग्निवेश से हुयी एक बातचीत में सामने आया। विदेशी दान के करोड़ों रुपये डकारने वाले शांतिदूत कैलाश सत्यार्थी पर उंगली मुक्ति आश्रम के कर्मचारियों की शिकायत के बाद उठी थी। चारों ट्रस्टियों शेओताज सिंह, खूबीराम, प्रभात पंत, राजेश त्यागी से मुक्ति आश्रम के कर्मचारियों ने सत्यार्थी की मनमानी किये जाने, ट्रस्ट के धन को व्यक्तिगत हितों में इस्तेमाल करने तथा हेराफेरी करने के गंभीर आरोप लगाये। इन तमाम आरोपों के मद्देनजर कैलाश सत्यार्थी, सुमेधा सत्यार्थी और एकाउंटेंट विट्ठल राव से जब ट्रस्टी शेओताज सिंह ने सफाई चाही तो सत्यार्थी दंपत्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर विट्ठल राव ने शुरुआत में सहयोग किया। ऐसी स्थिति में उक्त चारों ट्रस्टियों की तरफ से एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच के दौरान सत्यार्थी पर लगाये गये कर्मचारियों के आरोपों की सिलसिलेवार और तथ्यगत पुष्टि हुयी। जांच अधिकारी ने अक्टूबर 1995 में अलीपुर थाने में सत्यार्थी के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया।

इसलिए सहयोगियों ने छोड़ा साथ

कैलाश सत्यार्थी के काम का चरित्र वैसा ही है जैसा कि स्वयंसेवी संगठनों का है। ये संगठन मूलत: इस तरह के सामाजिक काम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। बचपन बचाओ आंदोलन के मुखिया बाल बंधुआ मजदूरों को मुक्त तो कराते है, परंतु वे बच्चे पुन: उस नर्क में वापस न जायें, इसका कोई विकल्प खड़ा नहीं करते। उनकी आर्थिक समृद्धि का विकल्प खड़ा किये बिना इस तरह के सारे प्रयास बेमानी हैं। कैलाश सत्यार्थी को दूसरे देशों के संगठनों से तो समर्थन मिलता है, परंतु संकट की घड़ी में उन्हें अपने ही देश भारत में कोई समर्थक नजर नहीं आता।

आनंदस्वरूप वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता

बात दशकों पहले की है इसलिए मुझे ठीक-ठाक याद नहीं कि मैंने पावर ऑफ अटार्नी बदली थी या नहीं। हां, इतना मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि मैंने पावर ऑफ अटार्नी स्वामी अग्निवेश को दी थी, बाद में कैलाश सत्यार्थी और स्वामी अग्निवेश का आपस में झगड़ा हो गया और उस बीच मेरे पास सत्यार्थी और अग्निवेश दोनों आये थे। मैंने झगड़े में न पड़ते हुए अग्निवेश से कहा था कि 24 सी, शेख सराय वाला मकान दे दें, क्योंकि उस समय मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था लेकिन अग्निवेश ने कहा था कि यह फ्लैट अब विवादों में है जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है।

बापू कालदांते, पूर्व सांसद जनता पार्टी

सत्यार्थी कहते हैं कि उन्होंने शिकायतकर्ता चारों ट्रस्टियों को ट्रस्ट से निष्कासित कर दिया है। यह जवाब वे तब देते हैं जब उनकी मनमानी और अनियमितताओं पर सवाल खड़ा होता है। सफाई के लिए मुक्ति प्रतिष्ठान से जुड़े लोगों की बैठक करायी जाती है। उस फैसलाकून बैठक में साजिशन तरीके से फर्जी फोटोस्टेट के दस्तखत वाले नये ट्रस्टियों की बहाली की प्रतियां सत्यार्थी द्वारा दिखायी जाती हैं, जिसमें फर्जी हस्ताक्षर रामशरण जोशी और मधु जोशी के हैं। जबकि उन्होंने बहुत पहले ही ट्रस्ट छोड़ दिया था। हमने इस कागजात की कॉपी कोर्ट में भी लगायी है। अदालत द्वारा सुझाये गये ट्रस्ट कानूनों को ताक पर रखकर सत्यार्थी ने जो मनमानी की है, वह पूर्णतया आपराधिक मामला है। सत्यार्थी दंपत्ति जिन ट्रस्टों में भागीदार रहे हैं उनकी तहकीकात की जाये तो ज्यादातर ट्रस्टों की मैनेजिंग कमेटी में सत्यार्थी पाये जायेंगे।

राजेश त्यागी, वकील सुप्रीम कोर्ट एवं ट्रस्टी मुक्ति प्रतिष्ठान

बहुत पुरानी बात हो गयी है, अब तो मैं ट्रस्टी भी नहीं हूं। हां, मुझे इतना याद है कि सत्यार्थी द्वारा किये गये हेर-फेर के खिलाफ शेओताज सिंह ने अदालत में याचिका दायर की थी, यह पूरा मामला सत्यार्थी बनाम अग्निवेश का है उन्हीं से इस बारे में पूछिये।

प्रभात पंत, मुक्ति प्रतिष्ठान ट्रस्टी

ट्रस्ट का मामला ट्रस्ट में ही निपटा लेने के मकसद से 1994 में स्वामी अग्निवेश के नेतृत्व में आर्य समाज और ट्रस्ट से जुड़े लोगों की आसफ अली रोड पर मीटिंग बुलायी गयी, लेकिन आर्य समाज के कार्यालय में घंटों तक चली इस बैठक का कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। अंतत: सदस्यों ने सर्वसम्मति से सत्यार्थी दंपत्ति को मुक्ति प्रतिष्ठान से निष्कासित कर दिया। चूंकि इब्राहिमपुर का मुक्ति आश्रम जंतर मंतर स्थित मुक्ति प्रतिष्ठान कार्यालय से संबद्ध था, लिहाजा सत्यार्थी के मुक्ति आश्रम से सारे रिश्ते स्वत: खत्म हो जाने चाहिए थे, बावजूद इसके स्वामी अग्निवेश के शब्दों में सत्यार्थी की बदमाशियां जारी रहीं।

मुक्ति आश्रम की नियमावलियों के मुताबिक यह स्थान गरीब, बीमार एवं विकलांग बच्चों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए बनाया गया था, परंतु ऐसा न होते देख जांच अधिकारी शेओताज सिंह एवं अन्य तीन ने मिलकर जनवरी 1997 में दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में उक्त भ्रष्टाचार के आरोपी ट्रस्टियों के खिलाफ याचिका दायर की।

सत्यार्थी के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा देख अप्रैल 1997 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बीएस चौधरी ने कोर्ट की तरफ से राना प्रवीन सिद्दीकी को जांच अधिकारी नियुक्त किया, सिद्दीकी ने भी जांच के बाद पेश की गयी रिपोर्ट में मुक्ति आश्रम में हो रही अनियमितताओं को रेखांकित किया और पाया कि बेहद सुनियोजित तरीके से आर्थिक मामलों में हेर-फेर की गयी है। रिपोर्ट में उल्लेख किया कि कैश बुक को देखने से ऐसा लगता है कि मानो एक ही आदमी ने कई जगह अगूंठे लगा रखे हैं, उन्होंने रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया है कि 81 से 84 तक की जो कैशबुक है उनका कोई वाउचर नहीं है तथा संस्था को अनुदान किन स्रोतों से कितना प्राप्त हो रहा है इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। 1980 से 89 तक का मुक्ति आश्रम में कोई रजिस्टर नहीं है, यहां तक कि मीटिंगों के दौरान लिए जाने वाले नोट्स भी उपलब्ध नहीं हैं, राना प्रवीन सिद्दीकी ने अपनी रिपोर्ट में स्वामी अग्निवेश तथा शेओताज सिंह पर जांच में सहयोग न करने तथा असंवैधानिक व्यवहार करने का भी जिक्र किया है।

एक के बाद एक तीन स्तरों से एक ही ढंग से लगाये गये आरोप उजागर भी हुए, परंतु सत्यार्थी नोबेल शांति पुरस्कार तक पहुंच गये, सत्यार्थी के विरोधियों और सहयोगियों दोनों का कहना है कि उनका यहां तक पहुंचना मीडिया मैनेज करने की कुशल कारीगरी का ही नतीजा है। सत्यार्थी पर लगाये गये आरोपों के मद्देनजर जब उनका पक्ष जानने के लिए दि संडे पोस्ट ने संपर्क किया तो कालकाजी स्थित उनके कार्यालय से जवाब आया कि सत्यार्थी जी इस पर बातचीत नहीं करना चाहते हैं, फोन पर हुयी बातचीत में उनके मीडिया प्रभारी राकेश सेंगर ने न्यायिक सलाहकार का हवाला देते हुए कहा कि न्यायालय में चल रहे इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ट्रस्ट बनाम सत्यार्थी का मामला कोर्ट में गये नौ साल हो गये हैं, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। न्यायालय पर टिप्पणी किये बिना इतना जरूर कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता बेहद सुस्त हो चुके हैं। इसी सुस्ती का परिणाम हुआ कि याचिकाकर्ता सुनवाई की तारीख में नहीं पहुंचे और कोर्ट ने केस ही खत्म करने का आदेश दे दिया, लेकिन केस देख रहे वकील आरके गौड़ की सक्रियता का परिणाम रहा कि केस की पुनर्बहाली के लिए अर्जी दे दी गयी।

-जनज्वार

तिहाड़ जेल बनेगी शोषण का अड्डा

तिहाड़ जेल में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कम्पनी मिण्डा फुरूकुवा इलैक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड के तिहाड़ जेल में मैन्युफैक्चरिंग इकाई की स्थापना होने के साथ ही जेलों को शोषण के अड्डे में तब्दील करने की प्रक्रिया भारत में भी शुरू हो गयी है। हालांकि इससे पहले भी तिहाड़ जेल में कुछ काम जैसे-बढ़ईगिरी, बेकरी आइटम, जूते बनाने, फर्नीचर बनाने जैसे काम किये जाते रहे हैं लेकिन एक फैक्टरी लगाकर कैदियों से काम करवाने का यह पहला प्रयोग है।

30 मार्च 2014 को तिहाड़ जेल के प्रशासन व मिण्डा-फुरूकुवा के प्रबंधकों के बीच हुए एक समझौते के तहत उत्पादन करने के संबंधित एक ट्रायल चला और अंतत: सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में तिहाड़ जेल में एक इकाई खोलने का फैसला लिया गया। अभी तो फ़िलहाल 30-35 कैदियों से काम करवाया जायेगा बाद में इसे और विस्तार देने की योजना है। तिहाड़ जेल का प्रशासन मिण्डा-फुरूकुवा के प्रबंधक से जेल की जमीन का किराया 10 रुपये प्रति वर्ग फुट से वसूल करेगा और प्रतिवर्ष यह 10 प्रतिशत की वृद्धि से बढ़ाया जायेगा।

मिण्डा फुरूकुवा कम्पनी भारत के अशोक मिण्डा ग्रुप व जापान की फुरूकुवा कम्पनी का संयुक्त उद्यम है। यह कम्पनी चार पहिया गाड़ियों में लगने वाले प्रमुख पार्टस वायर हारनेस बनाने का काम करती है। इस पार्ट्स को मुख्यत: मारुति सुजुकी कम्पनी के लिए बनाया जायेगा। भारत में यह इसका पहला प्रयोग है। इससे पहले यह जर्मनी में स्पार्क मिण्डा के नाम से वहां की एक जेल ड्रेसडेन जेल में 2005 से उत्पादन करवा रही है। इस यूनिट में 25 कैदी काम करते हैं। जेल में कैदियों से काम करवाने के लिए मिण्डा फुरूकुवा अपने सुपरवाइजर नियुक्त करेगी जिनकी देखरेख में काम करवाया जायेगा। इस इकाई की स्थापना करते हुए दिल्ली जेल के डीआईजी आलोक वर्मा का कहना है कि इस इकाई में काम करने वाले मज़दूरों को सामान्य कैदी मज़दूरों से ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। और प्रशिक्षिण पाने के बाद जब ये कैदी जेल से छूटेंगे तो उन्हें पुनर्वास कर सकने में मदद मिलेगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है कि तिहाड़ जेल के अधिकारी व मिण्डा फुरूकुवा के मालिक समाज सुधार के लिए काम कर रहे हैं? और जेल में उद्योग लगाने में उनकी नेकनीयती है कि वे कैदियों व उनके परिवारों के लिए चिंतित हैं। अगर हम इसकी तह में जायेंगे तो हम पायेंगे कि वास्तविकता इसके उलट है। यह एक ठीक चीज़ है कि जो कैदी जेलों में हैं उनको काम का प्रशिक्षण दिया जाये तो ये छूटने के बाद अपने जीवन की सम्मानजनक शुरूवात कर सकते हैं। लेकिन जिन देशों व जेलों में ऐसे प्रयोग किये जा रहे हैं अगर हम वहां देखें तो बिल्कुल तस्वीर का दूसरा रुख हमारे सामने आता है। दुनिया में लोकतंत्र के सबसे बड़े संरक्षक अमेरिका की जेलों में इसी तरह से काम करवाया जाता है। और जब से यह प्रक्रिया वहां शुरू हुई है तब से वहां जेलों की संख्या में बढोत्तरी ही हुयी है जिसमें राजकीय जेलों की अपेक्षा निजी जेलों के खुलने की रफ्तार बढ़ती गयी है। इन निजी जेलों के मालिकों का संबंध जजों, वकीलों व पुलिस के अधिकारियों से होता है। (कई बार तो इन निजी जेलों में जजों, वकीलों व पुलिस अधिकारियों के ही शेयर होते हैं।) और फ़िर एक खेल शुरू होता है। पुलिस ज़्यादा से ज्यादा लोग़ों को पकड़ती है (जिसमें बड़ी संख्या अप्रवासी मज़दूरों की होती है।) वकील व जज उनको मिलकर सजा दिलाते हैं और फ़िर उनको जेलों में भेज दिया जाता है। हां, कैदियों को जेलों में भेजते समय एक बात का ध्यान रखा जाता है कि अहिंसक कैदियों को ही निजी जेलों में भेजा जाता है (ताकि पूंजीपतियों के उत्पादन में कोई रूकावट न आये) और हिंसक कैदियों को राज्यों की जेलों में। अमेरिका के अंदर एक बड़ी आबादी आज जेलों के अंदर है तो इसका कारण जेलों में चलने वाले उद्योग हैं जिनमें कैदियों से निम्नतम मज़दूरी पर काम करवाया जाता है। अमेरिका की जेलों में दुनिया में सबसे ज्यादा कैदी हैं। अगर भारत के अन्दर तिहाड़ जेल से होने वाले इस उत्पादन को देखा जाये तो हम इसे समझ सकते हैं। मिण्डा-फुरूकुवा कम्पनी का बावल, हरियाणा में एक प्लांट है। इस प्लांट के मज़दूर अप्रैल माह से हड़ताल पर हैं। उनका कसूर केवल इतना है वे भारतीय श्रम कानूनों के हिसाब से अपनी फैक्टरी में यूनियन बनाना चाहते हैं। लेकिन प्रबंधन इस बात के खिलाफ़ था और उसने मज़दूरों को डराने-धमकाने की कोशिश की लेकिन जब मज़दूर नहीं डरे तो कई मज़दूरों को बर्खास्त कर दिया। और आज तक ये मज़दूर अपनी नौकरी के लिये संघर्ष कर रहे हैं। जाहिर है कि जेल के ये कैदी अपनी यूनियन बनाने के लिये संघर्ष नहीं करेंगे और उनको वेतन सामान्य मज़दूर से भी कम देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि कैदी काम का प्रशिक्षण पाकर क्या सम्मानजनक रोजगार पा सकते हैं? जब पहले से ही समाज में बड़ी मात्रा में बेरोजगारी मौजूद है तब क्या गारंटी है कि उनको काम मिल ही जायेगा? और जो काम मिलेगा भी क्या उसमें उनका परिवार का भरण-पोषण पूरा हो सकेगा? पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति जो भी काम करता है उसमें उसका मुनाफ़ा जरूर छिपा रहता है। आज अगर तिहाड़ जेल में उत्पादन इकाई स्थापित की जा रही है तो इसके पीछे कैदियों व उनके परिवार का भला चाहने वाली नीयत नहीं है बल्कि ये जेलें सेज से भी ज्यादा मुनाफ़ा देंगी इसलिये वहां ये उद्योग स्थापित करने की शुरूआत हों रही है।

-नागरिक